

मूल वाद में डिक्री  
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)  
 पोस्टीन अधिकारी - अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 13/2023

अनवान दायर दिनांक 28.04.2023  
 श्रेयश पिता घीसीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी माजी साहय का खेड़ा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

- बनाम ..... डिक्रीदार
- दुर्गालाल पिता चुन्नीलाल जाति बन्जारा उम्र वयस्क निवासी मालीपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)  
 चन्द्रा पत्नि कैलाश जाति सुथार उम्र वयस्क निवासी (मालीपुरा) नयागांव तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)  
 नानालाल पिता छोगालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी बिजौलियाँ खुर्द तहसील बिजौलियाँ जिला कल्याणा पुत्री श्यामलाल नाबालिग संरक्षक सरपरस्त माता शान्तिबाई पत्नि श्यामलाल जाति बन्जारा उम्र वयस्क निवासी मालीपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)  
 प्रियंका पुत्री श्यामलाल नाबालिग संरक्षक सरपरस्त माता शान्तिबाई पत्नि श्यामलाल जाति बन्जारा उम्र वयस्क निवासी मालीपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)  
 नारत पिता श्यामलाल जाति बन्जारा वयस्क निवासी मालीपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)  
 निर्मल पिता कैलाश जाति सुथार उम्र वयस्क निवासी (मालीपुरा) नयागांव तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)  
 लाल देवी पत्नि सुरेश कुमार जाति स्वर्णकार उम्र वयस्क निवासी बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)  
 सन्तोष पत्नि नारायणलाल जाति माली उम्र वयस्क निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)  
 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।

- उपस्थित :- 01. श्री जगदीश चन्द्र धाकड़ - विद्वान अधिवक्ता वादी ..... मदनयूनान  
 02. श्री अनिल धाकड़, ओमप्रकाश, राजुलाल धाकड़, सुनिल बांकलीवाल - अधिवक्ता प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53-188 रा0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक 28/08/2025  
 डिक्री दिनांक : 28/08/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफ्रिसल कतई रुबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय बिजौलियाँ बहाजरी विद्वान अधिवक्ता वादीगण श्री जगदीश चन्द्र धाकड़ व विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण श्री अनिल धाकड़, ओमप्रकाश, राजुलाल धाकड़, सुनिल बांकलीवाल - अधिवक्ता प्रतिवादीगण को हकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि मौजा ग्राम नयागांव पटवार हल्का जावदा स्थित कृषि भूग में निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:-



लगातार पेज संख्या 02 पर  
 उप खण्ड अधिकारी  
 बिजौलियाँ जिला - भीलवाड़ा

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकवा (हेक्टेयर में)
01	रमेश पुत्र घीसीलाल धाकड़ सा. माजी साहब का खेड़ा खातेदार	नयागांव	902/1	0.0158
योग			किता 01	0.0158
02	1. नाबालिग कल्पना पुत्री श्यामलाल संरक्षक सरपरस्त शान्तिबाई 1/21 बंजारा सा मालीपुरा 2. चन्दा पत्नी कैलाश सुथार 2/21 सा. नयागांव 3. दुर्गालाल पुत्र चुन्नीलाल 11/21 सा. मालीपुरा 4. नानालाल पुत्र छोगालाल 1/21 धाकड़ सा. बिजौलियां खुर्द 5. निर्मल पुत्र प्रकाशचन्द सुथार 2/21 सा. नयागांव 6. नाबालिग प्रियंका पुत्री श्यामलाल संरक्षक सरपरस्त शान्तिबाई 1/21 बंजारा सा. मालीपुरा 7. भारत पुत्र श्यामलाल 2/63 बंजारा सा. मालीपुरा 8. लाड देवी पत्नी सुरेश कुमार 2/21 स्वर्णकार सा. बिजौलियां 9. सन्तोष पत्नी नारायणलाल 1/63 माली सा. उन्द्रो का खेड़ा तह. माण्डलगढ़ खातेदार	नयागांव	902	0.3322
योग			किता 01	0.3322

अतः उक्तानुसार वादी के कब्जे काश्त करने में बाधा उत्पन्न नहीं करने, लड़ाई झगड़ा नहीं करने, कब्जे से बेदखल नहीं करने हेतु प्रतिवादीगणके विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी। डिक्री मुर्तिब हो। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करे।

नीज ..... Nil ..... मुबलिंग ..... Nil ..... बाबत् ..... Nil ..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर ..... Nil ..... फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ..... Nil ..... का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29 माह 09 वर्ष 2025 को जारी किया गया।

नोट :- प्रकरण में वकील वादी द्वारा स्टाम्प 100 रूपयें का आज दिनांक 28/08/2025 को प्रस्तुत करने से डिक्री आज दिनांक 28/08/2025 को मुर्तिब की गई।

3  
(अजीत सिंह राठौड़)  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ

मुद्द	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	-	-	स्टाम्प अरजीदया	-	-
स्टाम्प वकीलात नामा	-	-	स्टाम्प वकीलात नामा	-	-
स्टाम्प वजह सबूत	-	-	स्टाम्प वजह सबूत	-	-
महनताना वकील ( )	-	-	महनताना वकील ( )	-	-
खर्चा गवाह	-	-	खर्चा गवाह	-	-
फीस कमीशनर	-	-	फीस कमीशनर	-	-
बाबत् इजराय हुक्मनामा	-	-	बाबत् इजराय हुक्मनामा	-	-
मुनफरिक	-	-	मुनफरिक	-	-
मीजान			मीजान		



3  
(अजीत सिंह राठौड़)  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)  
पीठासीन अधिकारी - अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

दायर दिनांक 28.04.2023

अनयान

वादपत्र संख्या 13/2023

01. रमेश पिता घीसीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी माजी साहब का खेड़ा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0) वादी

बनाम

1. दुर्गालाल पिता चुन्नीलाल जाति बन्जारा उम्र वयस्क निवासी मालीपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. चन्दा पत्नि कैलाश जाति सुथार उम्र वयस्क निवासी (मालीपुरा) नयागांव तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. नानालाल पिता छोगालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी बिजौलियाँ खुर्द तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. कल्याना पुत्री श्यामलाल नाबालिग संरक्षक सरपरस्त माता शान्तिबाई पत्नि श्यामलाल जाति बन्जारा उम्र वयस्क निवासी मालीपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. प्रियंका पुत्री श्यामलाल नाबालिग संरक्षक सरपरस्त माता शान्तिबाई पत्नि श्यामलाल जाति बन्जारा उम्र वयस्क निवासी मालीपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
6. भारत पिता श्यामलाल जाति बन्जारा वयस्क निवासी मालीपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
7. निर्मल पिता कैलाश जाति सुथार उम्र वयस्क निवासी (मालीपुरा) नयागांव तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
8. लाड देवी पत्नि सुरेश कुमार जाति स्वर्णकार उम्र वयस्क निवासी बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
9. सन्तोष पत्नि नारायणलाल जाति माली उम्र वयस्क निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)
10. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।

..... प्रतिवादीगण

उपस्थित :- 01. श्री जगदीश चन्द्र धाकड़ - विद्वान अधिवक्ता वादी

1. श्री अनिल धाकड़, ओमप्रकाश, राजुलाल धाकड़, सुनिल बांकलीवाल - अधिवक्ता प्रतिवादीगण



वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53-188 राज0 का0 अधिनियम

-: निर्णय :-

दिनांक 28/08/2025

संक्षेप में वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई दिनांक 22.07.2025 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम नयागांव पटवार हल्का जावदा तहसील बिजौलिया स्थित आराजी नम्बर 902 रकबा 0.3480 हैक्टेयर भूमि में वादी का 1/22 हिस्से को राजस्व रेकॉर्ड व मौके पर जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन किये जाने के आदेश पारित किये गये। तहसीलदार बिजौलियाँ ने बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर जरिये पत्रांक/राजस्व/2025/1330 दिनांक 11.08.2025 को प्रस्तुत किये हैं।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उपखण्ड अधिकारी

बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

अतः वादगण पत्र वादी अन्तर्गत धारा 53-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आ.नं.	किता
01	रमेश पुत्र घीसीलाल धाकड़ सा. माजी साहब का खेड़ा खातेदार	नयागांव	902/1	0.0158
योग				
02	1. नाबालिग कल्पना पुत्री श्यामलाल संरक्षक सरपरस्त शान्तिबाई 1/21 बंजारा सा मालीपुरा 2. चन्दा पत्नी कैलाश सुथार 2/21 सा. नयागांव 3. दुर्गालाल पुत्र चुन्नीलाल 11/21 सा. मालीपुरा 4. नानालाल पुत्र छोगालाल 1/21 धाकड़ सा. बिजौलियां खुर्द 5. निर्मल पुत्र प्रकाशचन्द सुथार 2/21 सा. नयागांव 6. नाबालिग प्रियंका पुत्री श्यामलाल संरक्षक सरपरस्त शान्तिबाई 1/21 बंजारा सा. मालीपुरा 7. भारत पुत्र श्यामलाल 2/63 बंजारा सा. मालीपुरा 8. लाड देवी पत्नी सुरेश कुमार 2/21 स्वर्णकार सा. बिजौलियां 9. सन्तोष पत्नी नारायणलाल 1/63 माली सा. उन्द्रो का खेड़ा तह. माण्डलगढ़ खातेदार	नयागांव	किता 01 902	0.0158 0.3322
योग				
			किता 01	0.3322

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। वादी के कब्जे काश्त करने में बाधा उत्पन्न नहीं करने, लड़ाई झगड़ा नहीं करने, कब्जे से बेदखल नहीं करने हेतु प्रतिवादीगणके विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। वकील वादी निर्धारित नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प प्रस्तुत करें तब डिक्री जारी की जावें। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करे।

3  
(अजीत सिंह राठौड़)  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ

आदेश आज दिनांक 28/08/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



3  
(अजीत सिंह राठौड़)  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ